अनलाइन अपलोड

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक– 1867 /1सी0 (वन)

दिनांक 30/ 09/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः-- जनपद चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सैंज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.4 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(FP/UK/ROAD/31821/2018)**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्र सं0– 08बी/यू0सी0पी0/06/154/2018/एफ0सी0/117 दिनांक 18.05.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा जनपद चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सैंज तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 23 शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	उत्तर
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि सौपे जाने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3 (क)	प्रतिपूरक वनीकरण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 800 पौधों को रोपण कार्य प्रस्ताव के अनुसार दी गयी वनाच्छादित वन भूमि में किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	800 पौधों के रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये) रू0 10,64,800.00 की धनराशि ऑनलाइन चालॅन के माध्यम से दिनांक 19.2.2021 द्वारा जमा की जा चुकी है। **संलग्न 1– चालन की मूल प्रति।**
3 (ख)	राज्य सरकार Plantation हेतु चयनित क्षेत्र का सही खसरा संख्या/उपखण्ड संख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	वन भूमि प्रस्ताव 1.00 है0 से कम का होने के कारण यह शर्त लागू नहीं है
3 (घ)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	– तदैव –

प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	वनभूमि प्रस्ताव 1.00 हे0 से कम होने के कारण प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता नहीं है।
शुद्ध वर्तमान मूल्य इस संबंध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008,24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.4 है0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रस्ताव के तहत 0.4 है0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि रू0 2,62,800.00 ऑनलाइन चॉलन के माध्यम से दिनांक 19.2.2021 द्वारा जमा की जा चुकी है। **(संलग्न 1 के अनुसार)**
विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	एन0पी0वी0 की दरों में बढोतरी से सम्बन्धित बचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। **संलग्न 2– एन0पी0वी0 की बचन बद्धता का प्रमाण पत्र।**
प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 33 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	खण्ड द्वारा पेड़ो की कटाई न्यूनतम की जायेगी एवं प्रस्ताव के अनुसार 33 वृक्षों का पातन राज्य वन विभाग के सखत पर्यवेक्षण में किया जायेगा एवं कटाई की लागत वन विभाग को जमा की जाएगी।
परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें।.	परियोजना के तहत प्राप्त धन ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में जमा किया गया है। **संलग्न 3– ई–पोर्टल पर जमा की गयी राशि की छायाप्रति।**
एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	खण्ड द्वारा एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा।

	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधों की संख्या बढाएगा।	खण्ड द्वारा आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधों की संख्या बढायी जायेगी।
0	संरक्षित क्षेत्रों/वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियक साइनेज लगाए जाएगें।	खण्ड द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियक साइनेज लगाए जायेगें।
1	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/एफ0सी0/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
2	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
3	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
4	वनभूमि पर काई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	खण्ड द्वारा मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन विभाग द्वारा दिया जायेगा।
6	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोज[illegible]ागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।
7	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	खण्ड द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
8	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तित की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
	वन भूमि का उपयोगा परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।

20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति हो हस्तातंरित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 एफ0सी0 दिनांक 29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगीं।	शर्त मान्य है।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जाएगी।	खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जाएगी।

संलग्न– अनुपालन आख्या 4 प्रतियों में।

भवदीय

(इं0 दिनेश कुमार बिजल्वाण)
अधिशासी अभियन्ता

30/09/21

पत्रांक 1867/1 सी0 वन **तद्दिनांकित**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।
3– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 लो0नि0वि0 पौड़ी।
4– जिलाधिकारी चमोली ।
5– अधीक्षण अभियन्ता 07वॉं वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
6– सहायक अभियन्ता तृतीय, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

30/9/21

Attach 1 & 2

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 13-02-2021

Agency Name.	TEMPORARY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT GAUCHAR
Application No.	6131821946
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/154/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	office of the executive Engineer Temporary Division PWD GaucharChamoli
Amount(in Rs)	1327600/-

Amount in Words :Thirteen Lakh Twenty-Seven Thousand Six Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896131821946 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

भारतीय स्टेट बैंक 13 FEB 2021 (VASHISTH) PF: 8535906 Maker/Checker

अधिशासी अभियन्ता

शर्त संख्या–5(ख)

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सैंज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.4 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का वचनबद्धता का प्रमाण पत्र/शपथपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बडोतरी की जाती हैं तो एन0पी0वी0 की बढी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड **लो0नि0वि0**
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

FP/UK/ROAD/42515/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/42515/2019) Karnaprayag Nauti Paithani M/R to Koli Bhatoli M/R	ROAD425152019237	6142515237	07 Oct 2020	CA: 0/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 133100/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 527300/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Road side/gap filling plantation : 394200/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 10 Mar 2021 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 12 Mar 2021 Transaction Date : 17 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/311112381217UN49Bkolibhatolimotorroad... Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD425152019237)
FP/UK/ROAD/31821/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/31821/2018) Under District Plan ,New construction of road from silangi to sainj	ROAD318212018946	6131821946	18 May 2020	CA: 0/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 262800/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1327600/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Road side/gap filling plantation : 1064800/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 23 Dec 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 13 Feb 2021 Transaction Date : 20 Feb 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/12112112331215CSBDMsilangitosenj.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD318212018946)
/UK/ROAD/19786/2016 /viewreport.aspx? =FP/UK/ROAD/19786/2016) gasu-Niwari-Khet-Silangi R	ROAD197862016439	6119786439	06 Sep 2018	CA: 1722150/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 2030130/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3752280/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 31 Jan 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 01 Feb 2019 Transaction Date : 05 Feb 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11129124512152UM0Qscan0023.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD197862016439)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 5302 / 124, दिनांक, गोपेश्वर, मई 28 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषयः– जनपद चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सैंज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.4 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (online no FP/UK/Road/31821/2018)

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 2462/FP/UK/Road/31821/2018 दिनांक 13.04.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.4 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित की गयी, जिसमें अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्र संलग्न है जिसमें उनके द्वारा दो बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है। इस कार्यालय मांगी गयी सूचना निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क्र0 सं0	अनुपालन आख्या में त्रुटिपूर्ण बिन्दुओं में मांगी गयी सूचना	मांगी गयी बिन्दुओं की आख्या
1.	In compliance to condition no 3(ख) DFO mentioned that plantation will be done in blank space and the details are not required. State government is requested to submit the location details of area in DFL where the plantation of 800 tree by Rs. 10,64,800.00 is proposed to be done. The same is necessary for monitoring purpose in future.	कुंजाकोट ।।। क0न0 06 में 800 वृक्षो का वृक्षारोपण किया जायेगा। उक्त क्षेत्र का उल्लेख प्राक्कलन में किया गया है।
2.	It is also requested to submit the plantation scheme of RS. 10,64,800.00	वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि रू0 10,64,800. 00 का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संलग्नक – 1

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 5302 / 124 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर को उपरोक्त संलग्नको सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्या को अपने स्तर से Pravesh Portal में ऑनलाईन अपलोड करने का कष्ट करे। ताकि उक्त प्रकरण में उच्च स्तर से विधिवत स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः– यथोपरि।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

o/c

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः— जनपद चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सैंज तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.40 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

क्र०सं०	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	क्षेत्रफल (है० में)
1.	कंजाकोट ।।। क०न० 06 आरक्षित वन	0.800
	योग	0.800

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय योजना

क्र० सं०	रोपित प्रजातियां	संख्या
1.	बांज, काफल, आंवला, पदम इत्यादि	800
	रोपित कुल पौध	800

प्रथम चरण

क्र० सं०	कार्यमद का विवरण	मात्रा	इकाई	इकाई दर (प्रति रू०)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.800	है०	168.00	134.40
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान) आदि	0.800	है०	5446.00	4356.80
3	अग्रिम दीवालबन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	0.800	है०	48000.00	38400.00
4	गडढे खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित (प्रति गड्डा 25 ग्राम)	800	गडढे	11.00	8800.00
6	पाधौं की कीमत (प्रथम वर्ष) उगाने का	800	पौधे	10.00	8000.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयत्र औजार तेज करना एवं निरीक्षण बटिया	0.800	है०	1350.00	1080.00
8	कन्टुर नाली खुदान व रेखाकंन	188.00	र०मी०	93.30	17540.40
9	जल संरक्षण कार्य/भूमि संरक्षण कार्य	5.000	सं०	40000.00	200000.00
	योग— प्रथम चरणः—				278311.60

द्वितीय वर्ष

1	गडढे भरान कार्य	800	सं०	2.00	1600.00
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	800	सं०	3.00	2400.00
3	पौध ढुलान कार्य	800	सं०	13.00	10400.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	800	सं०	4.00	3200.00
5	पौधों की प्रथम निराई गुडाई	800	सं०	2.75	2200.00
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य	800	सं०	2.40	1920.00
8	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख—रेख पर व्यय 7 माह	7	माह	1000.00	5600.00
9.	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रो के अन्तर्गत सूखीघास फुंस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है० झाड़ी कटान (लैण्टाना, गाजर घास/काला बांसा)	0.600	है०	1800.00	1080.00
	9.2 वृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तंथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	55000.00
10	बोर्ड क्रय कर लगाना एंव अन्य व्यय फोटोग्राफ	1.000	सं०	L.S	19000.00
11	जल संरक्षण कार्य/भूमि संरक्षण कार्य	4.000	सं०	40000.00	160000.00
				योग— द्वितीय चरणः—	262400.00

	तृतीय वर्ष				
1	रोपण वर्ष के बाद तुतीय वर्ष का रखरखाव अनुरक्षण कार्य 12 माह	12	माह	1000.00	9600.00
2	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रो के अन्तर्गत सूखीघास फुंस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0 झाड़ी कटान (लैण्टाना, गाचर घास/काला बांसा)	0.20	है0	1800.00	360.00
3	9.2 वृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तंथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	57000.00
4	पौध की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	80	पौधे	13.00	1040.00
5	पौध की ढुलान	80	पौधे	13.00	1040.00
6	पुनः गढ्ढा खोदना एवं रोपण कार्य	80	पौधे	6.00	480.00
7	गढ्ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	8	कु0	285.00	2280.00
8	पौधों की शीतकालीन मचलिंग	80	पौधे	2.38	190.40
				योग तृतीय चरणः–	**71990.40**
	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	9600.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	55000.00
	योग चतुर्थ चरणः–				**64600.00**
	पंचम वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	9600.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	55000.00
	योग पचम चरणः–				**64600.00**
	छठा वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	9600.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	55000.00
	योग छठा चरणः–				**64600.00**
	सातवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	9600.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	55000.00
	योग सातवां चरणः–				**64600.00**
	आठवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	9600.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	55000.00
	योग आठवां चरणः–				**64600.00**
	नौवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	9600.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	55000.00
	योग नौवां चरणः–				**64600.00**
	दसवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	1000.00	9600.00
	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धि सुरक्षा कार्य)			L.S	55000.00
	योग दसवां चरणः–				**64600.00**

5– कुल व्यय सांरास प्रति है0 व कुल व्यय

क्र0 सं0	**वर्ष का नाम**	**प्रति है0 व्यय**
1	प्रथम वर्ष	278311.60

Scanned with CamScanner

2	द्वितीय वर्ष				262400.00
3	तृतीय वर्ष				71990.40
4	चतुर्थ वर्ष				64600.00
5	पंचम वर्ष				64600.00
6	षष्ठम वर्ष				64600.00
7	सप्तम वर्ष				64600.00
8	आठवां वर्ष				64600.00
9	नवम् वर्ष				64600.00
10	दसम वर्ष				64600.00
					64600.00
	कुंल रूपयें				**1064902.00**
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 972/3–5–2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2020–21 हेतु देय दर प्रति है0 रू0 1331.00		800.000	plants	1331.00	1064800.00
	या देय कुल धनराशि				**1064800.00**

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

Checked for Rs 10,64,800/-
D/Man
Forest

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Scanned with CamScanner